

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2016—पौष 3, शक 1938

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-23-11-2015-पच्चीस-5.—राज्य शासन, एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11 मार्च 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश की कण्डिका 2 में निम्नानुसार पैरा जोड़ा जाता है :—

"Neet (National Eligibility Cum Entrance Test) के माध्यम से एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर शासकीय एवं मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने पर बिना किसी आय बंध के राशि रुपये 25000/- प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशकृत तिवारी, उपसचिव.